मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 1516 /2018/ई/चार भोपाल, दिनांक 25.6.2018

प्रति

समस्त वित्त सेवा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 अनुसार अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बावत्।

-----0-----

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम-19 के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को प्रथम नियुक्ति तथा इसके पश्चात् प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है। किंतु राज्य में पदस्थ मध्यप्रदेश राज्य वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संचालनालय कोष एवं लेखा से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2018 में 194 वित्त सेवा अधिकारियों द्वारा ही अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत खेदजनक है। अतः वर्ष 31 दिसम्बर, 2017 की अचल सम्पत्ति पत्रक प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि समस्त वित्त सेवा अधिकारी दिनांक 30.6.2018 तक अपना अचल सम्पत्ति विवरण आयुक्त कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के पश्चात् संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विजय कठाने)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 1517 /2018/ई/चार, भोपाल, दिनांक 25.6.2018

<u>प्रतिलिपि</u> :-

आयुक्त,कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारियों से प्राप्त अचल सम्पत्ति विवरण पत्रक विभागीय बेवसाइट में अद्यतन कर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग